



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

मोहन लाल सुखाड़िया
.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर - 302006

क्रमांक : एफ.3(2)आरबी / 2023 / 5648
दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 4167-68 दिनांक 06.08.2023 के माध्यम से प्रो. सुनिता मिश्रा को मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया था।

प्रो. सुनिता मिश्रा दिनांक 23.09.2025 से 30 दिवस तक उपार्जित अवकाश पर हैं।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरु, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रो. सुनिता मिश्रा, कुलगुरु, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अवकाश से लौटने अथवा अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था (stop-gap arrangement) अंतर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलगुरु के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता० / -

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरु, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. प्रो. सुनिता मिश्रा, कुलगुरु, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. प्रो. अजीत कुमार कर्नाटक, कुलगुरु, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
8. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
9. कुलसचिव, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
11. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।



सचिव
राज्यपाल राजस्थान